(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 656–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–3–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 675/2011–12/अपील.

.....

के0सी0राजपूत पुत्र केदारसिंह
निवासी ग्राम बडागॉव तहसील व जिला
ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती मांगीबाई पत्नी श्री लाखन सिंह पुत्री श्री हरनामसिंह
निवासी ग्राम भर्राट तहसील व जिला मुरैना ..... अनावेदक
2–रमेश पुत्र श्री हरनामसिंह
निवासी शब्दप्रताप आश्रम
ग्वालियर
3–लाखनसिंह पुत्र हरनामसिंह
निवासी बडागॉव तहसील व जिला ग्वालियर
4– अरविन्द सिंह पुत्र स्व0श्री बीरबलसिंह
निवासी सुरैयापुरा मुरार जिला ग्वालियर
5–प्रतापसिंह पुत्र हरनामसिंह
निवासी सुरैयापुरा मुरार ग्वालियर
6–नरोत्तम पुत्र हरनामसिंह
निवासी सेंटपॉल स्कूल के पीछे, गणेश कॉलोनी मुरार ग्वालियर
7–सुजानसिंह पुत्र हरनामसिंह
निवासी सुरैयापुरा मुरार जिला ग्वालियर
8–श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी सरदारसिंह पुत्री हरनामसिंह
निवासी फूलपुर बामौर जिला मुरैना
9–श्रीमती लक्ष्मी पत्नी रामस्वरूप पुत्री हरनामसिंह
निवासी महावीरपुरा मुरैना
10–श्रीमती गुडडी पत्नी सुखलाल पुत्री श्री हरनामसिंह
निवासी बरौरा पुरानी छावनी
11–श्रीमती कुसुम पत्नी श्री कपूर सिंह पुत्री हरनामसिंह
निवासी मुरैना
12–देवी पुत्री स्व0श्री हरनाम पत्नी श्री प्रमोद सिंह
निवासी मुरैना

.....फॉरमल अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदक
श्री लखनसिंह धाकड़, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 8
श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 5 व 12

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 14/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–03–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बड़ागांव स्थित सर्वे नम्बर 839 रकबा 0.470 हेक्टेयर भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 13/11–12/अ–6 दर्ज कर दिनांक 13–1–12 को व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रकरण निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–7–12 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–3–15 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि विधिक प्रकिया अपनाकर नामान्तरण की कार्यवाही की जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक द्वारा किसी को नहीं किया गया है और फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदिका कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण चाहा गया है अतः तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आवेदन निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में एवं विक्रय पत्र के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा यह मानकर कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन निरस्त हो चुका है और मात्र प्रकरण लंबित रहने से कार्यवाही स्थगन नहीं की जा सकती है, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त करने में न्याय की गंभीर भूल की गई है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष जो तर्क प्रस्तुत किये गये थे, उन पर कोई विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन निरस्त हो जाने से तहसील न्यायालय को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करना थी, परन्तु उनके द्वारा प्रकरण निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि यदि यह मान भी लिया जाये कि व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित है तब भी तहसील न्यायालय को प्रकरण निरस्त नहीं कर प्रकरण स्थगित करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा प्रकरण निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है और इस ओर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी ध्यान नहीं देकर आदेश पारित किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत

किया गया कि मात्र व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित होने से राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है ।

5/ अनावेदक कमांक 5, 8 व 12 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनावेदिका कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 25–4–2011 को समाप्त हो गया है और स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है तथा तहसील न्यायालय के अवैधानिक आदेश को स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी त्रुटि की गई थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–03–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर